Success Story of National Lok Adalat Held on 09.09.2017

1. **Bhanwar lal V/s Mun lal, 2009**–

यह प्रकरण बालोतरा जिले में सिविल न्यायाधीश न्यायालय के समक्ष वर्ष 2009 से लम्बित था इसमें वादी भंवरलाल के द्वारा प्रतिवादी मूनलाल के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया दौराने वाद वादी की मृत्यु होने पर उसके कायम मुकाम पक्षकार बनाए गए तथा उसके पश्चात दिनांक 13.02.2015 को न्यायालय के द्वारा निर्णय दिया गया, किन्तु पक्षकारों के बीच अंतिम रूप से विवाद का निस्तारण नहीं हुआ और उसकी अपील जिला न्यायालय, बालोतरा के समक्ष प्रस्तुत की गई जो अपर जिला न्यायालय, बालोतरा को अंतरित की गई तथा वर्ष 2017 तक लम्बित रही। जिस पर यह विवाद राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष राजीनामे हेतु रखा गया।

लोक अदालत बैंच के द्वारा पक्षकारों को एक साथ बैठाकर राजीनामे का प्रयास किया, जिस पर दोनों पक्षकार इस बिन्दू पर सहमत हुए कि भूखण्ड को 03 भागों में बांटा जाएगा और एक–एक भाग दोनों पक्षकारों के पास रहेगा और तीसरा भाग रास्ते के रूप में दोनों पक्षकार उपयोग–उपभोग करेंगे और कोई भी पक्षकार एक दूसरे के कब्जे की भूमि में रास्ते के आवागमन में दखलंदाजी नहीं करेंगे।

इस प्रकार एक 08 वर्ष पुराने विवाद का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी राजीनामे से हो गया।

2. **Labour Dispute -**

यह प्रकरण जोधपुर जिले के श्रम न्यायालय में लम्बित था जिसमें ठेकेदार के माध्यम से अंबूजा सिमेंट, राबडियाबास, तहसील जेतारण, जिला पाली में कार्यरत 38 मजदूरों के द्वारा उनके साथ हो रहे शोषण को लेकर आवेदन–पत्र पेश किया गया था। इसमें मजदूरों के माननीय उच्चतम न्यायालय तक विजय होने के पश्चात भी नियोजक के द्वारा श्रम न्यायालय के अधिनिर्णय, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों की पालना नहीं की जा रही थी। जिस पर मजदूरों के द्वारा अधिनिर्णय की पालना हेतु औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 33 सी (2) के तहत प्रार्थना–पत्र पेश किए, जो काफी लम्बे समय से

लम्बित थे। जिस पर ये मामले विभिन्न चरणों में 04 बार राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष राजीनामे हेतु रखे गए।

लोक अदालत बैंच के द्वारा पक्षकारों को एक साथ बैठाकर राजीनामे का प्रयास किया, जिस पर नियोजक मजदूरों को रोजगार, वेतन सुविधा एवं मजदूर बोर्ड की सिफारिश के अनुसार भत्ते आदि देने के लिए सहमत हो गया।

इस प्रकार एक श्रमिक विवाद करीब 10 वर्ष बाद राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी राजीनामे से निस्तारित हो गया।

3. **Criminal Dispute u/s 323, 325 & 341 IPC-**

यह दाण्डिक प्रकरण करीब 10 वर्ष से दो भाईयों के बीच न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ से अंतरित होकर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अरनोद में लम्बित था, जिसमें दिनांक 07.09.2006 को दोनों भाईयों के बीच लड़ाई–झगड़ा व मार–पीट हुई जिसके फलस्वरूप एक भाई के हाथ में फ्रेक्चर हो गया। लम्बे समय से मनमुटाव होने के कारण दोनों परिवारों के बीच काफी दूरियां बन चुकी थी और एक भाई न्यायिक अभिरक्षा में भी चल रहा था। जिस पर यह मामला राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष रखा गया।

लोक अदालत बैंच के द्वारा पक्षकारों को एक साथ बैठाकर राजीनामे का प्रयास किया, जिस पर दोनों भाई आपसी राजीनामे के लिए सहमत हो गए और जेल में बंद भाई जेल से रिहा हो गया। इस प्रकार एक 10 वर्ष पुराने पारिवारिक विवाद का निस्तारण आपसी राजीनामे से हो गया ।

****